

// कार्यालय ज्ञाप //

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जी0एस0टी0 प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त वाणिज्य कर विभाग के समस्त जोनों एवं मुख्यालय में वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत किन-किन पदों के सापेक्ष कितने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जानी है, जिसके सम्बंध में कार्यालय का नाम एवं उसके सापेक्ष ड्यूटी हेतु पुलिस कर्मियों की संख्या के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | श्री एस0पी0 उपाध्याय, एडीशनल कमिशनर(पुलिस) वाणिज्य कर उ0प्र0, लखनऊ । | अध्यक्ष |
| (2) | श्री इन्द्र प्रकाश तिवारी, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील) वाणिज्य कर लखनऊ । | सदस्य |
| (3) | श्री ए0 के0 सिंह, ज्वाइंट कमिशनर (सचलदल) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ । | सदस्य |
| (4) | श्री गुलाब चन्द्र, ज्वाइंट कमिशनर(संग्रह) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ । | सदस्य |
| (5) | श्री योगेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिशनर(संग्रह) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ । | सदस्य |
| (6) | श्री संजय कुमार, असिस्टेंट कमिशनर(जी0एस0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ । | सदस्य |
| (7) | श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वाणिज्य कर अधिकारी(वाद) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ । | सदस्य |

उक्त समिति प्रत्येक सचल दल / प्रवर्तन इकाई हेतु उस इकाई की कार्यात्मक आवश्यकता का अध्ययन कर सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पुलिस बल के सम्बंध में अपनी तथ्यात्मक एवं सुविचारित आख्या / संस्तुति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी । समिति उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व अन्य विभागों में भी उपलब्ध पुलिस बल की व्यवस्था का अध्ययन कर उक्त क्रम में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

उक्त समिति उपरोक्त प्रक्रिया का सम्यक् अध्ययन कर एक पक्ष के अन्दर पॉवर प्वाइंट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना सुनिश्चित करें ।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिशनर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ ।
- 2- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
ज्वाइंट कमिशनर(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

कमिशनर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

श्री रेजा
D.C. 011
1-10-18
2434